Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाई माधोपुर में तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी, के वरिष्ठ सहायक जय शर्मा व हरिप्रसाद उर्फ सोनू एडवोकेट 75,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 23 जून, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी सवाई माधोपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए जय शर्मा, वरिष्ठ सहायक व हरिप्रसाद उर्फ सोनू एडवोकेट द्वारा परिवादी से गांव चूली में उसके द्वारा क्रय की कृषि भूमि की रजिस्ट्री करने की एवज में सोनू एडवोकेट ने परिवादी से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी व जय बाबू एवं स्वंय के लिये एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो ईकाई सवाई माधोपुर पर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर दिनांक 13.06.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में जय शर्मा वरिष्ठ सहायक ने सोनू उर्फ हरिप्रसाद एडवोकेट के मार्फत परिवादी से तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों के लिये एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की, वहीं परिवादी के निवेदन करने पर 75,000/- रूपये लेने पर सहमत हुये। उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 75,000/- रूपये आज दिनांक 23.06.2025 को परिवादी से सोनू उर्फ हरिप्रसाद एडवोकेट ने पावर हाउस गंगापुर सिटी में प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 75,000/- रूपये की राशि सोनू उर्फ हरिप्रसाद एडवोकेट की पहनी हुई शर्ट में रखी हुई बरामद होने पर आरोपी सोनू उर्फ हरिप्रासाद एडवोकेट को मौके पर एवं जय शर्मा वरिष्ठ सहायक को तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, के संबंध में अनुसंधान किया जावेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसकी व उसके द्वारा खरीदी गयी कृषि भूमि की रजिस्ट्री करने की एवज में सोनू उर्फ हरिप्रसाद एडवोकेट के मार्फत जय शर्मा वरिष्ठ सहायक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी चौकी सवाई माधोपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जय शर्मा वरिष्ठ सहायक व हरिप्रसाद उर्फ सोनू को परिवादी से 75,000/- रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।